Invitation of Proposal for Empanelment as Implementing Agency under "Project on Financial Support for Development of Accessible Learning Materials":

The eligible organisations may apply for being an implementing agency for the production of either-or multiple formats of accessible learning material. If any organization wishes to become an implementing agency under the project, they should have to fulfil the essential criteria as specified below:

Essential Criteria/Eligibility Condition for Implementing Agency:

States/UTs or their agencies working in this area are eligible to apply for the Project. Or, The Non-Governmental Organizations (NGO) must be registered under the Societies Registration Act, 1860 (XXI of 1860), or any relevant Act of the State/Union Territory; or the trust must be registered under the Indian Trust Act, 1882. The organization must be registered either under the erstwhile Persons with Disabilities Act, 1995 or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. The Non-Governmental Organizations (NGO) must be registered under the Darpan Portal of NITI Aayog (NGO Portal) and possess a unique ID of NGO Darpan. Renewal/validity of registration as of the date of application will be mandatory as per the extant norms as applicable for the concerned State.

Additional Criteria for Braille Press

- There should be no high-speed computerized Braille press in the concerned State/UT. However, this condition can be relaxed in the case of large states.

- For the Braille press setup, a minimum of exclusive 1500 square feet of the built-up area should be available for the establishment of the Braille press along with an additional built-up area of at least 400 Square feet for the exclusive storage of Braille paper and Braille books;

Additional Criteria for E-Pub/Digital Book Production

- There should be no E-Pub/digital book production Centre/implementing agency in the concerned State/UT already established under the project. However, this condition can be relaxed in the case of large states.

- A minimum of exclusive 500 square feet of the built-up area should be available for the establishment of the E-Pub/digital book production centre;

Additional Criteria for Human-Narrated Talking Book Production

- Organization should have Human-Narrated Talking Book Production facilities.

- There should be no other implementing agency in the concerned State/UT already established under the project.

 A minimum of exclusive 1000 square feet of built-up area should be available for the establishment of the Human-Narrated Talking Book Production Centre.

Additional Criteria for Large Print Book Production

 There should be no Large Print Book Production Centre/implementing agency in the concerned State/UT already established under the project. However, this condition can be relaxed in the case of large states.

 A minimum of exclusive 1000 square feet of built-up area should be available for the establishment of the Large Print Book Production Centre.

Additional Criteria for all Format Accessible Learning Material Production

 There should be no “all Format Accessible Learning Production” Centre/Implementing agency in the concerned State/UT already established under the project. However, this condition can be relaxed in the case of large states.

 A minimum of exclusive 4000 square feet of built-up area should be available for the establishment of the all Format Accessible Learning Material Production Centre.

Note: -Criteria may be relaxed for government bodies/agencies. In the case of the application originating from a voluntary organization, the applicant should have been in existence as a registered organization for the last five years and should be running educational programs for persons with visual impairment continuously for the last five years; and there should be a proper system of auditing of accounts in case of NGOs. Bank guarantee will be required in case of non-government organizations compulsory as per guidelines of govt. of India.

For more details, please refer to the project guidelines.

The Proposal should consist following information:

1. Name of the Organisation:
2. Address/Contact Details:
3. Details of the Organisation with Registration Number (in case of NGO):
4. Registration in the NGO portal of Niti Ayog: If yes, Registration no. and Date of registration
5. Is the organisation producing any accessible books/learning materials (if yes provide details)
6. Format applying for: Braille/Large Print/E-Pub/Talking Book
7. State Government recommendation:
8. Date since running the Braille Press/Large Print/E-Pub/Talking Book
9. Resources available for the Braille Press/Large Print/E-Pub/Talking Book (Equipment and Human Resources)
10. Details of Braille production/Large Print Production/E-Pub Production/Talking Book Production over last two years
11. Brief profile of Beneficiaries:
12. List of proposed items (if applying for Non-Recurring Grant)
13. Justification for applying for this project.
14. Any relevant information.

"सुलभ शिक्षण सामग्री के विकास के लिए वित्तीय सहायता पर परियोजना" के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में पैनल के लिए प्रस्ताव का आमंत्रण:

पात्र संगठन सुलभ शिक्षण सामग्री के एक या अधिक प्रारूपों के उत्पादन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई संगठन परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी बनना चाहता है, तो उसे नीचे निर्दिष्ट आवश्यक मानदंडों को पूरा करना होगा:

कार्यान्वयन एजेंसी के लिए आवश्यक मानदंड/पात्रता शर्त:

इस क्षेत्र में काम करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र या उनकी एजेंसियां परियोजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। या गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI) या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकृत होना चाहिए; या ट्रस्ट को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। संगठन को या तो तत्कालीन विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत पंजीकृत होना चाहिए। गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) को नीति आयोग के दर्पण पोर्टल (एनजीओ पोर्टल) के तहत पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास एनजीओ दर्पण की एक विशिष्ट आईडी होनी चाहिए। संबंधित राज्य के लिए लागू मौजूदा मानदंडों के अनुसार आवेदन की तारीख तक पंजीकरण का नवीनीकरण/वैधता अनिवार्य होगी।

ब्रेल प्रेस के लिए अतिरिक्त मानदंड:

- संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कोई हाई-स्पीड कम्प्यूटरीकृत ब्रेल प्रेस नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में ढील दी जा सकती है।

- ब्रेल प्रेस की स्थापना के लिए न्यूनतम 1500 वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए, साथ ही ब्रेल पेपर और ब्रेल पुस्तकों के भंडारण के लिए कम से कम 400 वर्ग फीट का अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए;

ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड:

- परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहले से कोई ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र/कार्यान्वयन एजेंसी स्थापित नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

- ई-पब/डिजिटल पुस्तक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम 500 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए;

मानव-वर्णित बोलती पुस्तक निर्माण के लिए अतिरिक्त मानदंड:

- संगठन के पास मानव-वर्णित बोलती पुस्तक उत्पादन सुविधाएं होनी चाहिए।

- परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहले से कोई अन्य कार्यान्वयन एजेंसी स्थापित नहीं होनी चाहिए।

- मानव-वर्णित बोलती पुस्तक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए

बड़े प्रिंट वाली पुस्तक उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड:

- परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहले से कोई बड़ी प्रिंट पुस्तक उत्पादन केंद्र/कार्यान्वयन एजेंसी स्थापित नहीं होनी चाहिए। हालांकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

- बड़े प्रिंट पुस्तक उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम 1000 वर्ग फुट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।

सभी प्रारूपों में सुलभ शिक्षण सामग्री उत्पादन के लिए अतिरिक्त मानदंड:

- परियोजना के अंतर्गत संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पहले से कोई "सभी प्रारूपों में सुलभ शिक्षण उत्पादन" केंद्र/कार्यान्वयन एजेंसी स्थापित नहीं होनी चाहिए। हालाँकि, बड़े राज्यों के मामले में इस शर्त में छूट दी जा सकती है।

- सभी प्रारूप सुलभ शिक्षण सामग्री उत्पादन केंद्र की स्थापना के लिए न्यूनतम 4000 वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्र उपलब्ध होना चाहिए।

नोट: - सरकारी निकायों/एजेंसियों के लिए मानदंड में छूट दी जा सकती है। स्वैच्छिक संगठन से आने वाले आवेदन के मामले में, आवेदक पिछले पांच वर्षों से पंजीकृत संगठन के रूप में अस्तित्व में होना चाहिए और पिछले पांच वर्षों से लगातार दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाना चाहिए; और गैर सरकारी संगठनों के मामले में खातों की लेखा परीक्षा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गैर-सरकारी संगठनों के मामले में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक गारंटी अनिवार्य होगी।

अधिक जानकारी के लिए कृपया परियोजना दिशानिर्देश देखें।

प्रस्ताव में निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

1. संगठन का नाम:
2. पता/संपर्क विवरण:
3. पंजीकरण संख्या के साथ संगठन का विवरण (एनजीओ के मामले में):
4. नीति आयोग के एनजीओ पोर्टल में पंजीकरण: यदि हां, तो पंजीकरण संख्या और पंजीकरण की तिथि
5. क्या संगठन कोई सुलभ पुस्तकें/शिक्षण सामग्री तैयार कर रहा है (यदि हां, तो विवरण प्रदान करें)
6. आवेदन का प्रारूप: ब्रेल/बड़े प्रिंट/ई-पब/टॉकिंग बुक
7. राज्य सरकार की सिफारिश:
8. ब्रेल प्रेस/बड़े प्रिंट/ई-पब/टॉकिंग बुक चलाने की तिथि
9. ब्रेल प्रेस/बड़े प्रिंट/ई-पब/टॉकिंग बुक के लिए उपलब्ध संसाधन (उपकरण और मानव संसाधन)
10. पिछले दो वर्षों में ब्रेल उत्पादन/बड़े प्रिंट उत्पादन/ई-पब उत्पादन/टॉकिंग बुक उत्पादन का विवरण
11. लाभार्थियों का संक्षिप्त विवरण:
12. प्रस्तावित वस्तुओं की सूची (यदि गैर-आवर्ती अनुदान के लिए आवेदन कर रहे हैं)
13. इस परियोजना के लिए आवेदन करने का औचित्य।
14. कोई भी प्रासंगिक जानकारी।